

निविदा नगर  
24-2-2020

कार्यालय : नगर निगम, गोरखपुर।  
निविदा आमंत्रण (मैनुअल पद्धति)

दिनांक : 11/2/2020

नगर निगम, गोरखपुर की ओर से गोरखपुर नगर क्षेत्र में निम्न कार्यो हेतु निविदाये आमंत्रित की जाती है जिसमें नगर निगम में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म हो जिसके पास "क" श्रेणी विद्युत लाईसेन्स धारक, निविदा में प्रतिभाग कर सकते हैं।

नगर निगम, गोरखपुर के कार्यों में सविदाकार द्वारा बिल आफ क्वाण्टिटी (B.O.Q.) पर डाले गये 10% कम दरों तक 0.5% प्रति 1.00% कम दर पर तथा उसके पश्चात् 10% से अधिक कम दरों पर 1.00% प्रति 1.00% कम दर पर अतिरिक्त सिक्यूरिटी/परफार्मेंन्स गारन्टी प्राप्त की जायेगी। यह परफार्मेंन्स गारन्टी NSC/CDR/FDR/TDR के अनुसार सविदाकार द्वारा अनुबन्ध गठन से पूर्व देनी होगी, जो कार्य की समापन तिथि तक वैध हो।

| क्र. सं. | जोब संख्या/ कार्य का नाम   | अनुमानित लागत (रु० में) | घरोहर धनराशि (रु० में) | निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु० में) | श्रेणी |
|----------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|
| 1        | 2  | 4                       | 5                      | 6                                 | 7      |
| 1        | मुफ्तीपुर के विभिन्न स्थानों (कंकड ताजिया के पास, कुरैसी गली, संस्कार मेरज हाउस, कुम्हार टोला, कोतवाली के पीछे, अस्करगंज में) पर पथ प्रकाश विस्तार का कार्य। | 336530/-                | 336530/-               | 398/-                             | E      |

नोट:- उपरोक्त कार्य की निविदा टू-बिड पद्धति से प्राप्त एवं खोली जायेगी।

1. बिड डाक्युमेन्ट ऑनलाइन [www.nigamkp.org](http://www.nigamkp.org) पर एवं पथ प्रकाश विभाग कार्यालय में उपलब्ध रहेगा।
2. घरोहर धनराशि एन.एस.सी./सी.डी.आर./एफ.डी.आर. के रूप में मान्य होगा, जो प्रभारी अधिकारी (पथ प्रकाश) नगर निगम गोरखपुर के पक्ष में बंधक होगा।
3. घरोहर धनराशि की एन.एस.सी./सी.डी.आर./एफ.डी.आर. ठेकेदार को मूल रूप से निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा की दरे स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिये।
5. कार्य हेतु ठेकेदार को आगणन धनराशि का 10 प्रतिशत एन.एस.सी./सी.डी.आर./एफ.डी.आर. के रूप में जमानत धनराशि जमा करनी होगी।
6. डाक द्वारा प्राप्त केवल उन्ही निविदाओ पर विचार किया जायेगा जो नियत अवधि के अन्दर प्राप्त होंगे।
7. निविदा प्रपत्र पर निविदादाता के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिये।
8. अनुबन्ध स्टैम्प पेपर ट्रेजरी (कोषागार) से सीधे क्रय करना अनिवार्य है।
9. निविदा प्राप्त करने की तिथि में यदि अवकाश हुआ तो अगले कार्य दिवस में निविदा प्राप्त व खोली जायेगी।
10. नगर निगम एवं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कापी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. पैन कार्ड एवं अद्यतन ITR.
12. निविदा में सफल ठेकेदारों को श्रम विभाग में कार्य का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
13. निविदा में दी गयी दरें 31 मार्च, 2020 तक मान्य होगी।
14. निर्धारित श्रेणी के रजिस्टर्ड निविदादाता अपने श्रेणी में निविदा के लिए ही पात्र होंगे।
15. कार्य को निर्धारित समय अवधि के अन्दर पूर्ण कराना होगा। इसमें किसी प्रकार की समय वृद्धि देय नहीं होगी।
16. समस्त कटौतियां प्रचलित नियम एवं व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।
17. विद्युत सम्बन्धी कार्यों हेतु वहीं ठेकेदार पात्र होंगे, जो विद्युत सुरक्षा निदेशालय से "क" श्रेणी धारक हों।
18. संस्था के प्रकरण में पार्टनरशिप डीड अनुबन्ध की अभिप्रमाणित प्रति।

ल निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

1. सफल निविदादाता द्वारा यदि समय से कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो नगर आयुक्त नगर निगम को यह अधिकार होगा कि वह कार्य को किसी अन्य से करा लें तथा इस प्रक्रिया में जो निगम को अधिक व्यय करना होगा। वह निविदादाता के धरोहर धनराशि से जब्त करके समायोजित करते हुए पूर्ण कर लिया जायेगा।
22. सफल निविदादाता को कार्यादेश प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर उचित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर इकरारनामा करके कार्य मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से जमानत की धनराशि जमा करना होगा।
23. निविदा सूचना नगर निगम वेबसाइट [WWW.NAGARNIGAMGKP.ORG](http://WWW.NAGARNIGAMGKP.ORG) पर उपलब्ध रहेगी।
24. नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर को किसी/अथवा सभी टेण्डरो को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा। टेण्डर से पूर्व, टेण्डर के विषय में यदि कोई स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना है तो टेण्डर डालने से एक दिन पूर्व नगर निगम, गोरखपुर के पथ प्रकाश कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। जिस दिन टेण्डर खोला जायेगा, यदि उस दिन अवकाश घोषित हो जाता है तो टेण्डर अगले कार्य दिवस में खोला जायेगा।

11/04/2020  
प्रभारी अधिकारी, पथ प्रकाश  
नगर निगम गोरखपुर।

नगर आयुक्त  
नगर निगम गोरखपुर।